उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-2/2015/1025/92-2-15-79आरई/2005
लखनऊ:: दिनांक:: 23 सितम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-संतरविदासनगर (भदोही) के अंतर्गत लक्षापुर के अंतर्गत लक्षापुर से टिकैतपुर मार्ग के निर्माण में की गयी शासकीय क्षति एवं बरती गयी अन्य अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-754(1)62-3-2007-79आरई/2005, दिनांक 04-04-2007 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में यह पाया गया कि श्री सक्सेना दिनांक 31-03-2006 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है, अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-06-2007 द्वारा श्री ए0के0 सक्सेना, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के स्थान पर सी0एस0आर0 के नियम-351ए के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 05-11-2007 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही पाये गये।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा यह पाया गया है कि श्री सक्सेना के विरूद्व अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित नही होता है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-04-2007 तदक्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-06-2007 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए के अंतर्गत श्री ए0के0 सक्सेना, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतरविदासनगर (भदोही) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल की ओर से,

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2015/1025(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री ए0के0 सक्सेना, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-संतरविदासनगर (भदोही) सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पीसिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।